टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700 001

दिनांकः 22.07.2025

कार्यालय आदेश सं 11/2025

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के कार्य की अनिवार्यता तथा प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर, टी बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने सम्पूर्ण भारत में टी बोर्ड के संबंधित अधिकारियों द्वारा धारित स्थापना/प्रशासनिक व्यय की वर्तमान वित्तीय शक्तियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने तथा संलग्न विवरण में दिए गए विवरण के अनुसार तत्काल प्रभाव से कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक शक्तियां सौंपने का निर्णय लिया है। सब्सिडी से संबंधित गतिविधियों की वित्तीय शक्तियां टी बोर्ड के संबंधित अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

तथापि, संलग्न विवरण में वर्णित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों की नई दरों के कार्यान्वयन के समय, सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे सामान्य वित्तीय नियम, 2017, चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, चाय बोर्ड उप-नियम, 1955 तथा कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों में वर्णित सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें।

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	कार्यपालक निदेशक, कूनूर व गुवाहाटी	
2.	बोर्ड के मुख्यालय,कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
3.	बोर्ड के सभी आंचलिक/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	
4.	वि.स.एवं मु.ले.अ.	
5.	उपाध्यक्ष, वि.ल.एवं मु.ले.अ. व सचिव के नि.सह	
6.	आई.टी. कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
7.	टीबीइए	
8.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियों सहित

Ref. File No. 7(1)/Estt/2019/Part-III